विधान सभा सचिवालय,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 2026 (कार्तिक 15, 1948)

क्रमांक 17386 / मप्रविस-16 / विधान / 2026 - राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 5 नवम्बर, 2026 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद् द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूं.

भोपाल :
दिनांक 5 नवम्बर, 2026

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.".

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 17387 /मप्रविस-16 / विधान /2026 भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 2026 (कार्तिक 15, 1948)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य ;

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;
पुलिस आयुक्त, भोपाल रेंज;
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;
महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;
भारत के समस्त विधान-मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001;
सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और
सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद् भवन, नई दिल्ली.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.